कारपोरेट अभिशासन

अभिशासन कोड के प्रति बैंक का दृष्टिकोण

कारपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का अक्षरशः अनुपालन करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक प्रतिबद्ध है। बैंक का मानना है कि उपयुक्त अच्छे कारपोरेट अभिशासन का महत्त्व विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन से अधिक होता है। उपयुक्त अभिशासन से व्यवसाय के प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण में सुविधा होती है, जिससे बैंक व्यवसाय सदाचार का उच्च स्तर बनाए रख सकता है और अपने हितधारकों को इष्टतम परिणाम दे सकता है । संक्षेप में इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- शेयरधारकों की पूंजी की सुरक्षा और उसमें वृद्धि करना।
- ग्राहकों, कर्मचारियों तथा समग्र समाज जैसे अन्य सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करना।
- संप्रेषण में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करना तथा सभी संबंधित पक्षों को संपूर्ण, सही एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराना।
- ग्राहक सेवा तथा निष्पादन संबंधी उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना तथा सभी स्तरों पर उत्कृष्टता हासिल करना।
- सर्वश्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण कारपोरेट नेतृत्व प्रदान करना जो दूसरों के लिए अनुकरणीय हो।

बैंक निम्नलिखित बातों के लिए प्रतिबद्ध है :

- यह सुनिश्चित करना कि बैंक का निदेशक बोर्ड नियमित बैठकें करे, व्यवसाय तथा कार्यों के मामले में प्रभावी नेतृत्व तथा व्यावहारिक-ज्ञान प्रदान करे तथा बैंक के निष्पादन की निगरानी करे।
- कार्यनीतिक नियंत्रण की रूपरेखा तय करना तथा इसकी प्रभावोत्पादकता की निरंतर समीक्षा करना।
- नीति विकास, कार्यान्वयन एवं समीक्षा, निर्णयन, निगरानी, नियंत्रण और रिपोर्टिंग के लिए सुस्पष्ट रूप से लिखित पारदर्शी प्रबंधन प्रक्रिया स्थापित करना।
- बोर्ड को यथावश्यक सभी प्रासंगिक सूचनाएँ, सलाह और संसाधन उपलब्ध कराना, ताकि वह अपनी भूमिका का निर्वाह प्रभावी ढंग से कर सके।
- यह सुनिश्चित करना कि अध्यक्ष, कार्यपालक प्रबंधन के सभी पहलुओं के प्रति उत्तरदायी हों तथा बैंक के निष्पादन और बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड के प्रति जवाबदेह हों। अध्यक्ष की भूमिका भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा इसमें किए गए सभी संबंधित संशोधनों से भी निर्देशित होती है।
- यह सुनिश्चित करना कि भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य विनियामकों तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी प्रयोज्य संविधियों, विनियमों और अन्य कार्यविधियों, नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने और यदि कोई विचलन हो, तो उसकी सूचना बोर्ड को देने के लिए किसी वरिष्ठ कार्यपालक को बोर्ड के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए।

शेयर बाजारों के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार बैंक ने उन मामलों को छोड़कर जहाँ खंड 49 के प्रावधान भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुरूप नहीं हैं, कारपोरेट अभिशासन के प्रावधानों का अनुपालन किया है। कारपोरेट अभिशासन के इन प्रावधानों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत की गई है।

केंद्रीय बोर्ड : भूमिका एवं संरचना

भारतीय स्टेट बैंक का गठन वर्ष 1955 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम अर्थात भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (अधिनियम) से हुआ। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय निदेशक बोर्ड का गठन किया गया था। बैंक का केंद्रीय बोर्ड अपने अधिकार भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं विनियम 1955 के प्रावधानों से प्राप्त करता है और उन्हीं के अनुपालन में अपने कार्य करता है। अन्य बातों के साथ इसकी प्रमुख भूमिका में निम्नांकित शामिल हैं ;

- बैंक के जोखिम प्रोफाइल पर नजर रखना ;
- बैंक के व्यवसाय और नियंत्रण प्रणाली की सम्पूर्ण निगरानी ;
- विशेषज्ञ प्रबंधन सुनिश्चित करना, और
- बैंक के हितधारकों के लाभों में अधिकाधिक वृद्धि करना।

बोर्ड की अध्यक्षता भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (क) के अंतर्गत नियुक्त बैंक के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा

19 (ख) के अंतर्गत चार प्रबंध निदेशक भी इस बोर्ड के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पूर्णकालिक निदेशक हैं। 31 मार्च 2015 को बोर्ड में प्रौद्योगिकी, लेखा-शास्त्र, वित्त तथा अर्थशास्त्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों सहित कुल 10 अन्य निदेशक थे। इनमें शेयरधारकों के प्रतिनिधि, बैंक का स्टाफ, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती अधिकारी और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19 (घ) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा नामित किए गए निदेशक शामिल हैं। कार्यालय में अध्यक्ष और तीन प्रबंध निदेशकों सहित पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा, 31 मार्च 2015 को बोर्ड का स्वरूप निम्नानुसार रहा :

- धारा 19 (ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित चार निदेशक,
- केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 19 (गख) के अंतर्गत नामित एक निदेशक,
- केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 19 (घ) के अंतर्गत नामित तीन निदेशक,
- केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 19 (ङ) के अंतर्गत नामित एक निदेशक (भारत सरकार का अधिकारी), और
- केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 19 (च) के अंतर्गत नामित (भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकारी) एक निदेशक ।

निदेशक बोर्ड का गठन सूचीबद्धता व्यवस्था के खंड 49 में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप है। निदेशकों के बीच आपस में कोई संबंध नहीं है।

गैर-कार्यपालक निदेशकों का संक्षिप्त परिचय अनुलग्नक-I में दिया गया है, विभिन्न बोर्डों/ समितियों में सभी निदेशकों द्वारा धारित निदेशक पदों/सदस्यताओं का विवरण अनुलग्नक-II में और बैंक में उनकी शेयरधारिता का विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

केंद्रीय बोर्ड की बैठकें

बैंक के केंद्रीय बोर्ड की वर्ष में कम से कम छह बैठकें होती हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की **बारह** बैठकें आयोजित की गई। बैठकों की तारीख और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है :

वर्ष 2014-15 दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों की तारीख एवं निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या :	**12**
बैठकों की तारीख :	29.04.2014, 23.05.2014, 19.06.2014, 17.07.2014, 08.08.2014, 24.09.2014, 14.11.2014, 18.12.2014, 30.12.2014, 29.01.2015, 13.02.2015, 23.03.2015

श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष और श्री पी. प्रदीप कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (कारपोरेट बैंकिंग), श्री एस. के. मुखर्जी सभी बारह बैठकों में उपस्थित रहे।

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री एच. जी. कान्ट्रेक्टर, एमडी एवं जीई (आईबी) (30.04.2014 तक)	01	01
श्री ए. कृष्ण कुमार, एमडी एवं जीई (एनबी) (30.04.2014 तक) और एमडी एवं जीई (आईबी- 01.05.2014 से 30.11.2014 तक)	07	07
श्री एस. विश्वनाथन (30.04.2014 तक)	01	01
श्री बी. श्रीराम, एमडी एवं जीई (एनबी) (17.07.2014 से)	09	07
श्री वी. जी. कन्नन, एमडी एवं जीई (एएण्डएस) (17.07.2014 से)	09	07
श्री एस. वेंकटाचलम (24.06.2014 तक)	03	03
श्री डी. सुंदरम (24.06.2014 तक)	03	02
श्री पार्थसारथी अय्यंगार (24.06.2014 तक)	03	02
श्री थॉमस मैथ्यू (24.06.2014 तक)	03	03
श्री संजीव मल्होत्रा (26.06.2014 से)	09	09
श्री एम. डी. माल्या (26.06.2014 से)	09	08
श्री सुनील मेहता (26.06.2014 से)	09	09
*श्री दीपक आई. अमिन (26.06.2014 से)	10	09
श्री ज्योति भूषण महापात्रा (20.11.2014 तक)	07	06
डॉ. राजीव कुमार	12	04
श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह	12	09
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी	12	04
श्री गुरदयाल सिंह संधु (10.11.2014 तक)	06	01
श्री हसमुख अढ़िया (11.11.2014 से)	06	02
डॉ. ऊर्जित आर. पटेल	12	05

*श्री दीपक आई. अमिन को भारत सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19 (घ) के अंतर्गत दिनांक 24 जनवरी 2012 से तीन वर्ष की अवधि के लिए नामित किया था। तथापि, उन्होंने दिनांक 8 मई 2014 से बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया और दिनांक 26 जून 2014 से बैंक के बोर्ड में शेयरधारक निदेशक बन गए।

केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी) का गठन भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 30 के अनुसार किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम (46 एवं 47) में प्रावधान है कि केंद्रीय बोर्ड के सामान्य अथवा विशेष निदेशों के अधीन केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति केंद्रीय बोर्ड की परिधि में आने वाले किसी भी मामले पर विचार कर सकती है। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत नामित निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती) और भारत में जिस स्थान पर बैठक आयोजित की जा रही हो, उस स्थान पर सामान्य रूप से निवास कर रहे अथवा उस समय वहाँ उपस्थित सभी या कोई अन्य निदेशक शामिल होते हैं। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की एक बैठक प्रत्येक सप्ताह में आयोजित की जाती है। वर्ष 2014-15 के दौरान आयोजित केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है - :

वर्ष 2014-15 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की कुल संख्या: 53

क्र.सं.	निदेशक	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
1	श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष	52
2	श्री एच. जी. कान्ट्रेक्टर, एमडी एवं जीई (आईबी) (30.04.2014 तक)	05
3	श्री ए. कृष्ण कुमार, एमडी एवं जीई (एनबी) (30.11.2014 तक)	28
4	श्री एस. विश्वनाथन, एमडी एवं जीई (एएण्डएस) (30.04.2014 तक)	04
5	श्री पी. प्रदीप कुमार, एमडी एवं जीई (सीबी)	49
6	श्री बी. श्रीराम (17.07.2014 से)	31
7	श्री वी. जी. कन्नन, एमडी एवं जीई (एएण्डएस) (17.07.2014 से)	29
8	श्री एस. वेंकटाचलम (24.06.2014 तक)	12
9	श्री डी. सुंदरम (24.06.2014 तक)	09
10	श्री पार्थसारथी अय्यंगार (24.06.2014 तक)	01
11	श्री थॉमस मैथ्यू (24.06.2014)	12
12	श्री संजीव मल्होत्रा (26.06.2014 से)	33
13	श्री एम. डी. माल्या (26.06.2014 से)	36
14	श्री सुनील मेहता (26.06.2014 से)	40
15	श्री दीपक आई. अमिन (08.05.2014 और उसके बाद 26.06.2014 से)	30
16	श्री ज्योति भूषण महापात्रा (20.11.2014 तक)	04
17	श्री एस. के. मुखर्जी	09
18	डॉ. राजीव कुमार	02
19	श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह	20
20	श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी	02
21	श्री गुरदयाल सिंह संधु, सरकारी नामिती (10.11.2014 तक)	-
22	डॉ. हसमुख अढ़िया (11.11.2014 से), सरकारी नामिती	-
23	डॉ. ऊर्जित आर. पटेल, आरबीआई नामिती	-

अन्य बोर्ड स्तरीय समितियाँ :

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम और सामान्य विनियम, 1955 के प्रावधानों तथा भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार केंद्रीय बोर्ड ने बोर्ड स्तरीय नौ समितियाँ गठित की हैं। ये हैंः लेखा-परीक्षा समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, हितधारक संबंध समिति, बड़ी राशि (1 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक राशि) की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति, ग्राहक सेवा समिति, प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति, बोर्ड की पारिश्रमिक समिति, वसूली निगरानी के लिए बोर्ड की समिति और कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति। ये समितियाँ लेखा-परीक्षा और लेखा, जोखिम प्रबंधन, शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण, धोखाधड़ी की समीक्षा और नियंत्रण, ग्राहक सेवा की समीक्षा एवं ग्राहकों की शिकायतों का निवारण, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, कार्यपालक निदेशकों को मानदेय का भुगतान, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली की निगरानी और कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायितव जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रो में बोर्ड स्तरीय कार्यवाही में कारगर पेशेवराना सहयोग प्रदान करती हैं। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर पूर्णकालिक निदेशकों को मानदेय के भुगतान का अनुमोदन देने हेतु पारिश्रमिक समिति की वर्ष में एक बार बैठक आयोजित होती है। अन्य समितियों की बैठकें केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित समीक्षा के कैलेन्डर के आधार पर आवधिक रूप में, सामान्यतः तिमाही अंतराल पर नीतिगत मामलों और/या क्षेत्र-विशेष के निष्पादन की समीक्षा के लिए आयोजित की जाती हैं। इन समितियों द्वारा बैंक के शीर्ष कार्यपालकों की सेवाओं के साथ-साथ आवश्यकतानुसार बाहरी विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जाती हैं। इन समितियों की बैठकों में हुई चर्चा के कार्य-विवरण और कार्यवाही की संक्षिप्त रिपोर्ट केन्द्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (एसबी) का गठन 27 जुलाई 1994 को और पिछली बार इसका पुनर्गठन 29 जनवरी 2015 को किया गया था। बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करती है और सूचीकरण करार के खंड 49 के प्रावधानों का अनुपालन उस सीमा तक करती है जिससे कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/ विनिर्देशों का उल्लंघन न हो ।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति के कार्य:

(क) बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति बैंक के समस्त लेखा-परीक्षा कार्य के परिचालन हेतु दिशानिर्देश देती है तथा उन पर नजर भी रखती है। समस्त लेखा-परीक्षा कार्य से आशय बैंक के भीतर आंतरिक लेखा-परीक्षा एवं निरीक्षण की व्यवस्था, परिचालन और गुणवत्ता नियंत्रण तथा बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई करने से है। यह समिति बैंक के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति भी करती है और समय-समय पर उनके निष्पादन की समीक्षा करती है।

(ख) बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति बैंक की वित्तीय, जोखिम प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा लेखा-परीक्षा नीति और लेखांकन नीतियों/प्रणालियों की समीक्षा करती है, ताकि अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

(ग) यह समिति बैंक में आंतरिक निरीक्षण/लेखा-परीक्षा कार्यप्रणाली, उसकी गुणवत्ता एव अनुवर्तन की दृष्टि से प्रभावकारिता की समीक्षा करती है। यह समिति निम्नलिखित के अनुवर्तन पर विशेष ध्यान भी देती है :

- अपने ग्राहक को जानिए - धन-शोधन निवारण (केवाईसी-एएमएल) दिशानिर्देश;
- लेखांकन के प्रमुख क्षेत्र;
- खंड 49 और सेबी द्वारा समय-समय पर जारी अन्य दिशा-निर्देशों का अनुपालन;
- घोष और जिलानी समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन की वस्तु-स्थिति।

(घ) यह बैंक के अनुपालन विभाग से रिपोर्टें प्राप्त करती है तथा उनकी समीक्षा करती है।

(ङ) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट और लांग फार्म लेखा-परीक्षा रिपोर्टों में उठाए गए सभी विषयों पर बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति अनुवर्ती कार्रवाई करती है। वार्षिक/तिमाही वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व यह समिति बाह्य लेखा परीक्षकों से विचार-विमर्श करती है। केंद्रीय बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट एक औपचारिक 'ऑडिट चार्टर' अथवा 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' निर्धारित किया गया है, जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। पिछली बार 18 दिसंबर 2014 को इसमें संशोधन किया गया था।

गठन एवं वर्ष 2014-15 के दौरान उपस्थिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में आठ सदस्य हैं, जिनमें से दो पूर्णकालिक निदेशक, दो सरकारी निदेशक (भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती) तथा चार गैर-सरकारी, गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इसके विधान तथा कोरम संबंधी अपेक्षाओं का सख्ती से अनुपालन किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित आंतरिक नियंत्रण, प्रणालियों एवं कार्यविधियों तथा अन्य पहलुओं से जुड़े विभिन्न मामलों की समीक्षा के लिए वर्ष के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की 11 बैठकें आयोजित की गईं।

वर्ष 2014-15 के दौरान आयोजित बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों की तारीख और उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या: 11

बैठकों की तिथियाँ: 28.04.2014, 22.05.2014, 19.06.2014, 25.07.2014, 07.08.2014, 16.10.2014, 13.11.2014, 26.12.2014, 02.02.2015, 12.02.2015, 12.03.2015

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री एच. जी. कान्ट्रेक्टर, एमडी एवं जीई (आईबी) (30.04.2014 तक)	01	01
श्री ए. कृष्ण कुमार, एमडी एवं जीई (एनबी) (30.04.2014 तक) और एमडी एवं जीई (आईबी- 01.05.2014 से 30.11.2014 तक)	07	07
श्री पी. प्रदीप कुमार, एमडी एवं जीई (सीबी- 01.05.2014 से)	10	09
श्री बी. श्रीराम, एमडी एवं जीई (एनबी) (01.12.2014 से)	04	04
श्री वी. जी. कन्नन, एमडी एवं जीई (एएण्डएस) - वैकल्पिक सदस्य	-	01
श्री एस. वेंकटाचलम, अध्यक्ष, एसीबी (24.06.2014 तक)	03	03
श्री डी. सुंदरम (24.06.2014 तक)	03	03
श्री थॉमस मैथ्यू (24.06.2014 तक)	03	03
श्री संजीव मल्होत्रा, अध्यक्ष, एसीबी (26.06.2014 से)	08	08
श्री एम. डी. माल्या (26.06.2014 से)	08	07
श्री सुनील मेहता (26.06.2014 से)	08	08
डॉ. राजीव कुमार	11	04
श्री गुरदयाल सिंह संधु (10.11.2014 तक)	06	00
श्री हसमुख अढ़िया (11.11.2014 से)	05	00
डॉ. ऊर्जित आर. पटेल	11	07

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) का गठन 23 मार्च 2004 को किया गया था। यह समिति ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम संबंधी समन्वित जोखिम प्रबंधन नीति और कार्यनीति की निगरानी करने हेतु गठित की गई है। यह समिति पिछली बार 29 जनवरी 2015 को पुनर्गठित की गई थी, जिसमें आठ सदस्य हैं। वरिष्ठ प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष होते हैं। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की प्रत्येक तिमाही में एक और वर्ष में न्यूनतम चार बैठकें होती हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं।

वर्ष 2014-15 के दौरान बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों की तारीख तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4
बैठकों की तारीख : 24.06.2014, 19.09.2014, 16.12.2014, 17.03.2015

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री पी. प्रदीप कुमार, एमडी एवं जीई (सीबी- 01.05.2014 से)	4	4
श्री बी. श्रीराम (29.01.2015 से)	1	1
श्री वी. जी. कन्नन - वैकल्पिक सदस्य	2	2
श्री एस. वेंकटाचलम (24.06.2014 तक)	1	1
श्री डी. सुंदरम (24.06.2014 तक)	1	1
श्री थॉमस मैथ्यू (24.06.2014 तक)	1	1
श्री संजीव मल्होत्रा, (26.06.2014 से)	3	1
श्री एम. डी. माल्या (26.06.2014 से)	3	3
श्री सुनील मेहता (26.06.2014 से)	3	3
डॉ. राजीव कुमार	4	-
श्री दीपक आई. अमिन	3	3
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी	4	-

बोर्ड की हितधारक संबंध समिति

शेयर बाजारों के सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसरण में शेयरधारकों एवं निवेशकों से शेयर अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट न मिलने, बॉड्स पर ब्याज/घोषित लाभांश न मिलने जैसी शिकायतों के निवारण हेतु बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति (एसआईजीसीबी) का 30 जनवरी 2001 को गठन किया गया था (दिनांक 24 सितंबर 2014 को केन्द्रीय बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, इस समिति का नाम बदल कर हितधारक संबंध समिति कर दिया गया है)। यह समिति पिछली बार 29 जनवरी 2015 को पुनर्गठित की गई थी, जिसमें आठ सदस्य हैं और इस बैठक की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। समिति की वर्ष 2014-15 के दौरान चार बैठकें हुईं, जिनमें शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की गई।

वर्ष 2014-15 के दौरान एसआईजीसीबी/हितधारक संबंध समिति की बैठकों की तारीख तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4
बैठकों की तारीख : 07.05.2014, 30.07.2014, 22.10.2014, 16.01.2015

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री ए. कृष्ण कुमार, एमडी एवं जीई (एनबी) (30.04.2014 तक) और एमडी एवं जीई (आईबी- 01.05.2014 से 30.11.2014 तक)	3	3
श्री पी. प्रदीप कुमार, एमडी एवं जीई (सीबी) (01.05.2014 से 23.09.2014 तक)	2	2
वैकल्पिक सदस्य के रूप में		1
श्री वी. जी. कन्नन, एमडी एवं जीई (एएण्डएस) (24.06.2014 तक)	2	2
श्री एस. वेंकटाचलम, समिति के अध्यक्ष (24.06.2014 तक)	1	1
श्री थॉमस मैथ्यू (24.06.2014 तक)	1	1
श्री एम. डी. माल्या (26.06.2014 से) - समिति के अध्यक्ष	3	3
श्री संजीव मल्होत्रा (26.06.2014 से)	3	-
श्री सुनील मेहता (26.06.2014 से)	3	3
श्री दीपक आई. अमिन (26.06.2014 से)	3	2
डॉ. राजीव कुमार	-	-
श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह	4	3

(वर्ष के दौरान) अब तक प्राप्त शेयरधारकों की शिकायतों की संख्या:486
उन शिकायतों की संख्या, जिनका समाधान शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुरूप नहीं किया गया: शून्य
लंबित शिकायतों की संख्या : शून्य
अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनाम: श्री ए. के. गुप्ता, महाप्रबंधक, अनुपालन

बड़ी राशि (1 करोड़ रुपए और उससे अधिक) की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति

बड़ी राशि (1 करोड़ रुपए और उससे अधिक) की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए विशेष समिति (एससीबीएमएफ) का गठन 29 मार्च 2004 को किया गया था। इस समिति का प्रमुख कार्य बड़ी राशि की धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं समीक्षा करना है, जिससे यह समिति प्रणालीगत खामियों, धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाने एवं सूचित करने में देरी के कारणों का पता लगा सकेगी और सीबीआई/पुलिस जाँच कार्रवाई पर निगरानी रख सकेगी तथा स्टाफ की जिम्मेदारी शीघ्र तय करते हुए धोखाधड़ी की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावशाली ढंग से समीक्षा करते हुए उपयुक्त निवारक उपाय भी शुरू कर सकेगी। इस समिति को पिछली बार 29 जनवरी 2015 को पुनर्गठित किया गया था । इसमें आठ सदस्य हैं। वरिष्ठ प्रबंध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

वर्ष 2014-15 के दौरान बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए गठित विशेष समिति की बैठकों की तारीख तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4
बैठकों की तारीख : 03.06.2014, 10.09.2014, 26.11.2014, 20.02.2015

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री ए. कृष्ण कुमार, एमडी एवं जीई (एनबी) (30.04.2014 तक) और एमडी एवं जीई (आईबी- 01.05.2014 से 30.11.2014 तक)	3	2
श्री पी. प्रदीप कुमार, एमडी एवं जीई (सीबी)	1	1
श्री बी. श्रीराम, एमडी एवं जीई (एनबी) (17.07.2014 से)	3	1
श्री वी. जी. कन्नन, एमडी एवं जीई (एएण्डएस) वैकल्पिक सदस्य के रूप में	-	2
श्री एस. वेंकटाचलम (24.06.2014 तक)	1	1
श्री थॉमस मैथ्यू (24.06.2014 तक)	1	1
श्री संजीव मल्होत्रा (26.06.2014 से)	3	3
श्री एम. डी. माल्या (26.06.2014 से)	3	3
श्री सुनील मेहता (26.06.2014 से)	3	3
श्री दीपक आई. अमिन (26.06.2014 से)	3	3
श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह	4	3

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति

बैंक द्वारा प्रदत्त ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर उत्तरोत्तर सुधार लाने के उद्देश्य से 26 अगस्त 2004 को बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) का गठन किया गया था। यह समिति पिछली बार 29 जनवरी 2015 को पुनर्गठित की गई थी और इसमें सात सदस्य हैं। समिति में वरिष्ठतम प्रबंध निदेशक इसके अध्यक्ष हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

वर्ष 2014-15 के दौरान आयोजित बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति बैठकों की तारीख तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4
बैठकों की तारीख :13.05.2014, 19.08.2014, 07.11.2014, 28.01.2015

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री ए. कृष्ण कुमार, एमडी एवं जीई (एनबी) (30.04.2014 तक) और उसके बाद एमडी एवं जीई (आईबी- 01.05.2014 से 30.11.2014 तक)	3	2
श्री पी. प्रदीप कुमार, एमडी एवं जीई (सीबी) (01.05.2014 से और 23.09.2014 तक)	2	2
वैकल्पिक सदस्य		2
श्री बी. श्रीराम, एमडी एवं जीई (एनबी) (17.07.2014 से)	3	1
श्री एस. वेंकटाचलम (24.06.2014 तक)	1	1
श्री थॉमस मैथ्यू (24.06.2014 तक)	1	1
श्री संजीव मल्होत्रा (26.06.2014 से)	3	2
श्री एम. डी. माल्या (26.06.2014 से)	3	2
श्री सुनील मेहता (26.06.2014 से)	3	2
श्री ज्योति भूषण महापात्रा (20.11.2014 तक)	3	-
श्री एस. के. मुखर्जी	4	3
श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह	4	3
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी	4	-

बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

बैंक की सूचना-प्रौद्योगिकी पहलों की प्रगति की निगरानी के लिए 26 अगस्त 2004 को बोर्ड की प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया गया। 24 अक्तूबर 2011 से समिति का नाम बदलकर बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति कर दिया गया है। समिति को निम्नलिखित भूमिकाएं और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं :

(i) सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति और नीति विषयक प्रलेख अनुमोदित करना; यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने एक प्रभावी कार्यनीतिक योजना प्रक्रिया अपनाई है;

(ii) यह सुनिश्चित करना है कि सूचना प्रौद्योगिकी संगठनात्मक योजना व्यवसाय के मॉडल और उसकी दिशा की पूरक है;

(iii) यह सुनिश्चित करना कि जोखिमों और लाभों के बीच प्रौद्योगिकी निवेश संतुलन दर्शाता हो और बजट स्वीकार्य है;

(iv) सूचना प्रौद्योगिकी जोखिमों की प्रबंधन द्वारा निगरानी की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना तथा बैंक स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी हेतु प्रदान की जाने वाली कुल निधियों की निगरानी करना; और

(v) सूचना प्रौद्योगिकी निष्पादन आकलन और व्यवसाय में सूचना प्रौद्योगिकी के योगदान की समीक्षा करना (अर्थात वचनबद्ध मूल्य प्रदान करना)।

यह समिति पिछली बार 29 जनवरी 2015 को पुनर्गठित की गई थी, जिसमें छह सदस्य हैं। समिति की अध्यक्षता एक गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। वर्ष 2014-15 के दौरान समिति की चार बैठकें हुई हैं।

वर्ष 2014-15 के दौरान बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति बैठकों की तारीख तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4
बैठकों की तारीख : 29.05.2014, 04.09.2014, 21.11.2014, 25.02.2015

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री ए. कृष्ण कुमार, एमडी एवं जीई (एनबी) (30.04.2014 तक) और उसके बाद 01.05.2014 से 30.11.2014 तक एमडी एवं जीई (आईबी)	3	1
श्री पी. प्रदीप कुमार, एमडी एवं जीई (सीबी)	4	3
श्री बी. श्रीराम, एमडी एवं जीई (एनबी) (17.07.2014 से)	3	3
श्री डी. सुंदरम, समिति के अध्यक्ष (24.06.2014 तक)	1	1
श्री एस. वेंकटाचलम (24.06.2014 तक)	1	1
श्री पार्थसारथी अय्यंगार (24.06.2014 तक)	1	-
श्री थॉमस मैथ्यू (24.06.2014 तक)	1	-
श्री दीपक आई. अमिन, समिति के अध्यक्ष, (26.06.2014 से)	3	3
श्री संजीव मल्होत्रा (26.06.2014 से)	3	2
श्री एम. डी. माल्या (26.06.2014 से)	3	3
श्री सुनील मेहता (26.06.2014 से)	3	3

बोर्ड की पारिश्रमिक समिति

भारत सरकार द्वारा मार्च 2007 में सूचित योजना के अनुसार प्रोत्साहन के भुगतान के संबंध में बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यों का मूल्यांकन करने हेतु 22 मार्च 2007 को पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया । इस समिति का पुनर्गठन पिछली बार 29 जनवरी 2015 को किया गया था। इस समिति में चार सदस्य हैं, जिनमें (1) सरकार द्वारा नामित निदेशक (2) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक (3) दो अन्य निदेशक - श्री एम. डी. माल्या और श्री दीपक आई. अमिन शामिल हैं। इस समिति ने 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए पूर्णकालिक निदेशकों की प्रोत्साहन राशि की जांच कर उसका भुगतान करने की संस्तुति की है।

बोर्ड की वसूली निगरानी समिति

भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली पर नजर रखने के लिए 20 दिसंबर 2012 को आयोजित केंद्रीय बोर्ड की बैठक में बोर्ड की ऋण निगरानी समिति गठित की गई। समिति में छह सदस्य हैं, जिनमें अध्यक्ष, चार प्रबंध निदेशक और सरकार के नामिती निदेशक शामिल हैं। वर्ष के दौरान इस समिति की चार बैठकें हुईं, जिनमें अनर्जक आस्ति प्रबंधन और बैंक के बड़ी राशि के अनर्जक आस्ति खातों की समीक्षा की गई।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति

कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति के अंतर्गत बैंक द्वारा शुरू किए गए कार्यकलापों की समीक्षा करने के लिए दिनांक 24 सितंबर 2014 को कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआर) का गठन किया गया। इस समिति का पिछली बार 29 जनवरी 2015 को पुनर्गठन किया गया और इसके सात सदस्य हैं। समिति में वरिष्ठतम प्रबंध निदेशक इसके अध्यक्ष हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान समिति की दो बैठकें हुईं।

वर्ष 2014-15 के दौरान बोर्ड की सीएसआरसी बैठकों की तारीख तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 2
बैठकों की तारीख : 03.12.2014, 29.01.2015

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री पी. प्रदीप कुमार, एमडी एवं जीई (सीबी)	2	2
श्री बी. श्रीराम, एमडी एवं जीई (एनबी)	2	2
श्री संजीव मल्होत्रा	2	1
श्री एम. डी. माल्या	2	2
श्री सुनील मेहता	2	2
श्री दीपक आई. अमिन	2	2
श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह	2	1

बोर्ड की नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति ने दिनांक 31 मार्च 2014 को आयोजित हुई अपनी बैठक में तीन स्वतंत्र निदेशकों (श्री एस. वेंकटाचलम, समिति के अध्यक्ष, श्री डी. सुंदरम और श्री हरिचंद्र बी. सिंह, सदस्य) की एक नामांकन समिति का गठन किया गया, जिससे कि आवश्यक उचित कर्तव्य-निष्ठा बनाई रखी जा सकें और शेयरधारकों द्वारा निदेशकों के रूप में चुनाव हेतु नामांकन भरने वाले उम्मीदवारों की 'सही एवं उचित' स्थिति निर्धारित की जा सकें। दिनांक 5 जून 2014 को नामांकन, समिति की बैठक हुई और तदनुसार उम्मीदवारों की स्थिति को 'सही एवं उचित' घोषित किया गया।

स्थानीय बोर्ड

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं सामान्य विनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक केन्द्र में जहाँ बैंक का स्थानीय प्रधान कार्यालय (एलएचओ) है, वहाँ स्थानीय बोर्ड/स्थानीय बोर्ड की समितियाँ कार्य कर रही हैं। केन्द्रीय बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित कार्य और विवेकाधिकारों का उपयोग स्थानीय बोर्डों द्वारा किया जाता है। 31 मार्च 2015 को दस स्थानीय प्रधान कार्यालयों में स्थानीय बोर्ड और शेष चार स्थानीय प्रधान कार्यालयों में स्थानीय बोर्ड की समितियाँ कार्यरत थीं। स्थानीय बोर्डों/स्थानीय बोर्डों की समितियों की बैठकों के कार्य-विवरण और कार्यवाही केन्द्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

बैठक फीस

पूर्णकालिक निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक एवं बोर्ड/बोर्ड की समितियों की बैठकों में सहभागिता करने हेतु गैर-कार्यपालक निदेशकों को भुगतान की गई बैठक फीस भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित राशि के अनुरूप है। गैर-कार्यपालक निदेशकों को बोर्ड और/या इसकी समिति की बैठकों में सहभागिता करने हेतु बैठक फीस के अलावा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। वर्तमान में केंद्रीय बोर्ड की बैठक में सहभागिता के लिए 10,000/- रुपए और अन्य बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकों में सहभागिता के लिए 5,000/- रुपए बैठक फीस दी जाती है। तथापि, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों तथा भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामिती निदेशकों को बैठक फीस का भुगतान नहीं किया जाता है। वर्ष 2014-15 के दौरान भुगतान की गई बैठक फीस का विवरण अनुलग्नक-IV में दिया गया है।

बैंक की आचार संहिता का अनुपालन

बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा अनुलगनक -V में दी गई है। आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वर्ष के दौरान गतिविधियां

निदेशकों को कारपोरेट अभिशासन की बेहतर जानकारी प्रदान करने के एक प्रयास के रूप में, बैंक ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित पहलें कीं :

i) दो निदेशकों ने मुंबई में सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनैंशियल रिसर्च एण्ड लर्निंग (सीएएफआरएएल) द्वारा 17 नवंबर 2014 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों के गैर-कार्यपालक निदेशकों के लिए आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता की ।

ii) जोखिम प्रबंधन, बासेल-II, और जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के संबंध में निदेशकों की कुशलता में वृद्धि करने के लिए दिनांक 27 एवं 28 फरवरी 2015 को सीएएफआरएएल द्वारा नई दिल्ली में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों के गैर-कार्यपालक निदेशकों के लिए बैंको में कारपोरेट अभिशासन, मानव संसाधन चुनौतियों पर आयोजित कार्यक्रम में दो निदेशकों ने सहभागिता की ।

अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशकों को वर्ष 2014-15 में भुगतान किया गया वेतन एवं भत्ते

नाम	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	प्रोत्साहन	अन्य बकाया	कुल पारिश्रमिक
अध्यक्ष					
श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य (01.04.2014 से 31.03.2015)	9,60,000.00	10,34,400.00	3,83,000.00	-	23,77,400.00
कुल					
प्रबंध निदेशक					
श्री पी. प्रदीप कुमार (01.04.2014 से 31.03.2015)	9,26,385.00	9,98,027.00	1,56,250.00	-	20,80,662.00
श्री बी. श्रीराम (17.07.2014 से 31.03.2015)	6,40,532.00	6,85,370.00	-	-	13,25,902.00
श्री वी. जी. कन्नन (17.07.2014 से 30.03.2015)	6,40,532.00	6,85,370.00	-	-	13,25,902.00
श्री हेमंत जी कांट्रेक्टर (पूर्व प्रबंध निदेशक) (01.04.2014 से 30.04.2014)	80,000.00	1,04,000.00	5,00,000.00	-	6,84,000.00
श्री ए. कृष्ण कुमार (पूर्व प्रबंध निदेशक) (01.04.2014 से 30.11.2014)	6,40,000.00	6,92,000.00	5,00,000.00	-	18,32,000.00
श्री एस. विश्वनाथन (पूर्व प्रबंध निदेशक) (01.04.2014 से 30.04.2014)	77,765.00	1,01,095.00	5,00,000.00	-	6,78,860.00

प्रकटीकरण

बैंक अपने प्रमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन, उनकी अनुषंगियों अथवा संबंधितों आदि के साथ किसी भी ऐसे महत्वपूर्ण भौतिक लेनदेन से असंबद्ध रहा है, जो बृहत स्तर पर बैंक के हितों के प्रतिकूल हो सकते थे।

बैंक दवारा स्टाक एक्सचेंजों अथवा सेबी बाजार से संबंधित किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रयोज्य नियमों और विनियमों का पालन किया गया है। विगत तीन वर्षों के दौरान इनके द्वारा बैंक पर किसी भी प्रकार का दंड या आक्षेप नहीं लगया गया है।

बैंक के बोर्ड दवारा अनुमोदित विसल ब्लोयर नीति लागू की गई है और सभी स्टाफ सदस्यों की जानकारी के लिए इसे बैंक के स्टेट बैंक टाइम्स पर उपलब्ध कराया गया है। इससे सेवा नियमों के उल्लंघन में कर्मचारियों के किसी अनैतिक कृत्य व व्यवहार की सूचना दी जा सके। इसमें विसल ब्लोअर के हित/पहचान को संरक्षण देने का भी प्रावधान है।

बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 की सभी शर्तों को पूरा किया है। बशर्तेकि खंड की अपेक्षाएं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के प्रावधानों, उन प्रावधानों के अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों में इनके लिए अलग से प्रावधान है।

निदेशक बोर्ड का गठन, लेखा-परीक्षा समिति का गठन और उसका कोरम, गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रतिपूर्ति, सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और उनकी फीस के निर्धारण के संबंध में खंड 49 की सांविधिक अपेक्षाएं बैंक पर बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियमावली और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में इनके लिए अलग से प्रावधान है।

संचार माध्यम

बैंक की यह दृढ़ मान्यता है कि सभी हितधारकों को बैंक के कार्यकलाप, निष्पादन और नए उत्पादों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। वर्ष 2014-15 के लिए बैंक के वार्षिक, अर्ध-वार्षिक और तिमाही परिणाम देश के सभी प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए गए। इन परिणामों को बैंक की वेबसाइट (www.sbi.co.in और www.statebankofindia.com) पर भी प्रदर्शित किया गया। वार्षिक रिपोर्ट बैंक के सभी शेयरधारकों को भेजी जाती है। बैंक की वेबसाइट पर अन्य सामग्री के साथ-साथ बैंक द्वारा जारी समाचार, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट और तिमाही रिपोर्ट तथा विभिन्न प्रस्तावों का ब्योरा प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष बैंक के वार्षिक एवं अर्ध-वार्षिक परिणामों की घोषणा के बाद उसी दिन पत्रकारों के साथ बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें बैंक के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुति तथा तथा मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। इसके बाद एक और बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें अनेक निवेश विश्लेषकों को आमंत्रित किया जाता है और उनसे बैंक के कार्य-निष्पादन पर विस्तृत चर्चा की जाती है। तिमाही परिणामों की घोषणा के बाद प्रेस अधिसूचनाएं जारी की जाती है।

वार्षिक महासभा में उपस्थिति

वर्ष 2013-14 की वार्षिक महासभा 3 जुलाई 2014 को आयोजित की गई जिसमें 10 निदेशक उपस्थित रहे, अर्थात श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, श्री ए. कृष्ण कुमार, श्री पी. प्रदीप कुमार, श्री एम. डी. माल्या, श्री सुनील मेहता, श्री संजीव मल्होत्रा, श्री दीपक आई. अमिन, श्री एस. के. मुखर्जी, श्री ज्योति भूषण महापात्रा और श्री हरिचन्द्र बहादुर सिंह। वार्षिक महासभा (2012-13) 21 जून 2013 और वार्षिक महासभा (2011-12) 22 जून 2012 को आयोजित हुई थी। ये तीनों वार्षिक महासभाएं, मुंबई में आयोजित की गईं और पिछली 3 वार्षिक महासभाओं में कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया।

शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना

शेयरधारकों की वार्षिक महासभा	: दिनांक 02.07.2015, समय : अपराह्न 3.00 बजे, स्थानः "वाई. बी. चव्हाण आडिटोरियम", जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021.
वित्तीय कैलेंडर	: 01.04.2014 से 31.03.2015
बहीबंदी की तारीख	: 30.05.2015 से 03.06.2015 रिकार्ड तारीख: 29.05.2015
लाभांश	: ₹.3.50 प्रति शेयर
भुगतान तिथि	: 18.06.2015
इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन	: भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों पर लाभांश का भुगतान विभिन्न इलेक्ट्रानिक माध्यमों से भी किया जा रहा है।
शेयर बाजार जिनमें सूचीकरण किया गया है	: बीएसई मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, नई दिल्ली और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई। जीडीआर लंदन स्टॉक एक्सचेंज (एलएसई) में सूचीकृत हैं। लंदन शेयरबाजार (एलएसई) सहित सभी शेयर बाजारों को आज तक का सूचीकरण शुल्क अदा कर दिया गया है।
स्टॉक कोड/सीयूएसआईपी	: स्टॉक कोड 500112 (बीएसई) एसबीआईएन (एनएसई) सीयूएसआईपी यूएस 856552203 (एलएसई)
शेयर हस्तांतरण व्यवस्था	: भौतिक रूप के शेयरों की हस्तांतरण प्रक्रिया पूरी कर उन्हें निर्धारित समयावधि में शेयरधारकों को लौटाया जाता है। सूचीकरण करारों की शर्तों के अनुसार त्रैमासिक शेयर हस्तांतरण लेखा-परीक्षा तथा शेयर पूँजी लेखा-परीक्षा समाधान एक स्वतंत्र कंपनी सचिव द्वारा किया जाता है।
रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम तथा उनकी यूनिट का पता बोर्ड फोन नंबर	: मेसर्स डाटामेटिक्स फाइनैंशियल सर्विसेस लिमिटेड
	: प्लॉट बी-5, और पार्ट बी, क्रॉस लेन, एमआईडीसी, मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400093.
	: 022-6671 2151 to 56 (पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक और अपराह्न 2 बजे से 4.30 बजे तक)
सीधे नंबर	: 022-66712198, 022-66712199, 022-6671 2201 से 6671 2203
ई-मेल पता	: sbi_eq@dfssl.com
फैक्स	: (022) 6671 2204
पत्र-व्यवहार के लिए पता	: भारतीय स्टेट बैंक, शेयर एवं बॉण्ड विभाग, कारपोरेट केंद्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021
टेलीफोन	: (022) 22740841 से 22740848
फैक्स	: (022) 2285 5348
ई-मेल पता	: gm.snb@sbi.co.in
भारतीय रुपए में जारी बॉण्डों (पूंजीगत लिखत) के न्यासी	: आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड

ईक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य में कमी (शेयरों का उप-विभाजन)

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने दिनांक 24 सितंबर 2014 को हुई अपनी बैठक में बैंक के ईक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य में कमी करके उसे ₹.10 से ₹.1 करने और जारी किए गए शेयरों की संख्या को समानुपात में बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार करके उसे अनुमोदित कर दिया था। 22 नवंबर 2014 से शेयर का विभाजन (रिकार्ड तारीख 21 नवंबर 2014) किया गया, जिसके कारण शेयरधारकों की संख्या में 4 लाख से अधिक की वृद्धि हुई है, जिससे पता चलता है कि एसबीआई के शेयर के प्रति शेयरधारक काफी रुचि रखते हैं।

बकाया वैश्विक जमा रसीदें (जीडीआर)

वर्ष 1996 में जीडीआर जारी करते समय, सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दो-तरफा समरूपता की अनुमति नहीं दी गई थी अर्थात् यदि जीडीआर-धारक व्यक्ति भारतीय कंपनी के ईक्विटी शेयर प्राप्त करना चाहता हो, तो ऐसे जीडीआर को भारतीय कंपनी के शेयर में रूपांतरित करना होता था परंतु इसके विपरीत प्रक्रिया की अनुमति नहीं थी। बाद में, भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक ने एटीआर/जीडीआर की दो-तरफा समरूपता की अनुमति दे दी। बैंक ने अपने जीडीआर कार्यक्रम की दो-तरफा समरूपता की अनुमति दी है।

31.03.2015 को बैंक के पास 1,60,43,156 जीडीआर से संबंधित 16,04,31,560 शेयर थे। शेयर में विभाजन के चलते जीडीआर-अंडरलाइंग शेयरों के अनुपात को 1:2 से बढ़ाकर 1:10 (24 नवंबर 2014 से) किया गया।

दावारहित शेयर

शेयरधारक की श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	बकाया शेयर
वर्ष के आरंभ में उचंत खाते में पड़े दावारहित बकाया शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	1,056	25,100
वर्ष के दौरान दावारहित उचंत खाते से शेयर अंतरण के लिए जारीकर्ता से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	8	171
वर्ष के दौरान दावारहित उचंत खाते से जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए, उन शेयरधारकों की संख्या	8	171
वर्ष के अंत में उचंत खाते में पड़े दावारहित बकाया शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	1,048	24,929* (शेयरों के विभाजन के बाद 2,49,290 रिकॉर्ड तारीख 21 नवंबर 2014)

लाभांश की परंपरा :

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्बाध रूप से अपने शेयरधारकों को पिछले कई वर्षों से निरंतर बढ़ती दर पर लाभांश का भुगतान करने की विशिष्ट परंपरा रही है ।

शेयर-कीमत में उतार-चढ़ाव :

शेयर कीमत में उतार-चढ़ाव और बीएसई सेंसेक्स/एनएसई निफ्टी में उतार-चढ़ाव को निम्नलिखित तालिकाओं में प्रस्तुत किया गया है। बैंक के शेयरों का 31.03.2015 को बीएसई सेंसेक्स में बाजार पूंजीकरण भार 3.42% और एनएसई निफ्टी में 2.80% रहा।

तालिका : बाजार मूल्य आंकड़े (बाजार बंद होने के समय मूल्य)

माह	बीएसई		एनएसई		एलएसई (जीडीआर)	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल-14	2105.30	1894.55	2106.20	1893.65	69.15	63.00
मई-14	2755.25	2044.85	2753.50	2044.55	94.65	67.88
जून-14	2732.15	2579.25	2739.80	2580.65	92.75	85.92
जुलाई-14	2701.10	2412.10	2702.25	2411.05	90.75	80.58
अगस्त-14	2523.60	2361.80	2524.70	2362.50	83.20	74.08
सितंबर-14	2625.60	2378.35	2630.40	2377.70	86.48	78.35
अक्तू-14	2701.65	2369.80	2702.80	2367.60	87.58	77.38
नवंबर-14	321.45	271.92	321.40	271.93	51.60	44.12
दिसंबर-14	320.25	295.90	320.30	295.60	51.40	44.45
जनवरी-15	334.45	299.95	334.60	299.90	54.50	47.18
फरवरी-15	307.80	279.75	307.50	279.50	50.10	45.12
मार्च-15	302.75	256.90	302.60	256.65	48.62	40.90

शेयरों के अंकित मूल्य को 10 रुपए से घटाकर 1 रुपए किया गया (रिकार्ड तारीख 21.11.2014)

जीडीआर-अंडरलाइंग शेयरों के अनुपात को 1:2 से बढ़ाकर 1:10 (24 नवंबर 2014) किया गया।

प्रति शेयर बही मूल्य ₹160.84, आर्थिक मूल्य वर्धित(ईवीए): 6,201 करोड़ रुपए।

प्रदर्श : 31 मार्च 2015 को शेयरधारिता का संवितरण

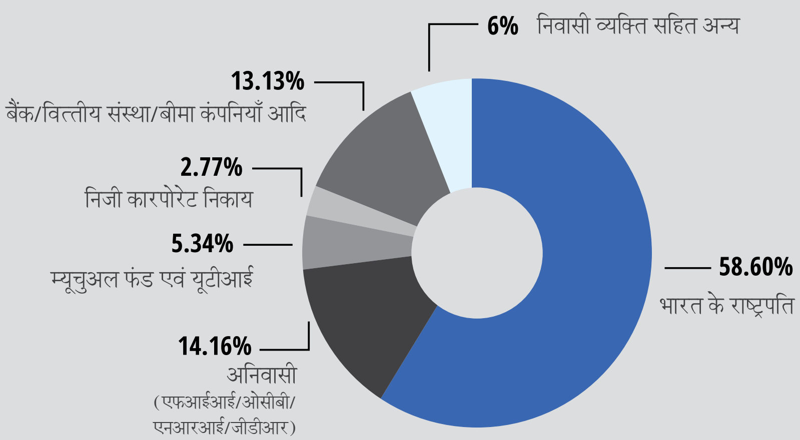

बैंक के दस शीर्ष शेयरधारक

क्र. सं.	नाम	कुल ईक्विटी में शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	58.60
2	भारतीय जीवन बीमा (वित्तीय संस्थान)	11.82
3	दि बैंक आफ न्यूयार्क मेलॉन (हमारे जीडीआर के डिपॉजिटरी के रूप में)	2.15
4	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड-(म्यूचुअल फंड)	2.01
5	रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कं. लि. (म्यूचुअल फंड)	0.79
6	स्केजेन कॉन-टिकी वर्डिप एपिरफांड (विदेशी संस्थागत निवेशक)	0.75
7	आबूधाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (विदेशी संस्थागत निवेशक)	0.61
8	भारतीय साधारण बीमा निगम (वित्तीय संस्थान)	0.55
9	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस क. लि. (निजी कारपोरेट निकाय)	0.49
10	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड (म्यूचुअल फंड)	0.42

अनुलग्नक I

दिनांक 31 मार्च 2015 को बोर्ड के गैर-कार्यपालक निदेशकों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी

श्री संजीव मल्होत्रा

(जन्म तारीख : 1 अक्तूबर 1951)

श्री मल्होत्रा को जोखिम प्रबंधन, कारपोरेट और निवेश बैंकिंग, उपभोक्ता वित्त एवं सूक्ष्म उद्यम ऋणान्वयन, निजी ईक्विटी वाले वरिष्ठ पदों पर ग्लोबल बैंकिंग एवं फाइनैंस के संबंध में 40 वर्षों का अनुभव है।

श्री एम. डी. माल्या

(जन्म तारीख : 9 नवंबर 1952)

श्री माल्या बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। उन्होंने बैंक की कायापल्ट, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी, एचआर और संगठनात्मक संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य किया है।

श्री माल्या मई 2008 और नवंबर 2012 के दौरान बैंक ऑफ बडौदा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं। उनके प्रेरक नेतृत्व एवं नवोन्मेषी कार्यनीति पहल से बैंक ने उत्कृष्टता निष्पादन हासिल करने और अनेक सम्मान एवं पुरस्कारों के रूप में व्यापक पहचान प्राप्त की है।

श्री सुनील मेहता

(जन्म तारीख : 22 अगस्त 1957)

श्री सुनील मेहता को सिटी बैंक एण्ड एआईडी में बैंकिंग, बीमा, वित्तीय सेवाएं और निवेश के संबंध में 32 वर्ष से अधिक का काफी अनुभव है। 13 वर्षों तक एआईजी के देश प्रमुख के रूप में, श्री मेहता जीवन और गैर-जीवन बीमा, प्राइवेट ईक्विटी, आस्ति प्रबंधन, स्थावर संपदा, होम एवं कंज्यूमर फाइनैंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मार्टगेज गारंटी और एयरक्राफ्ट लिजिंग सहित 10 व्यवसायों की भारत में स्थापना और उनकी निगरानी करने के लिए उत्तरदायी रहे हैं। श्री मेहता ने सिटीबैंक में 18 वर्षों तक विभिन्न वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है। इस समय वे एसपीएम कैपिटल एडवाइजर्स प्रा. लि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं और अन्य कई प्रमुख संगठनों के बोर्ड से भी जुड़े हुए हैं।

श्री दीपक आई. अमिन

(जन्म-तारीख: 20 अप्रैल 1966)

श्री दीपक आई. अमिन आईआईटी, मुंबई से कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में बी.टेक. तथा यूएसए के रोड आइलैंड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में एमएस डिग्री-प्राप्त हैं। श्री अमिन कोविलिक्स, इंक सीटल व भारत की अंतरराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर सलाहकार कंपनी (एमटेक आइएनसी द्वारा अधिगृहीत) के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहे हैं। इससे पहले श्री अमिन वीजंगल, इंक, वेब सेवा सॉफ्टवेअर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी के सस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहे हैं, जिसे स्ट्रीमसर्व, इंक ने अधिगृहीत किया था । श्री अमिन ने माइक्रोसाफ्ट में कई वर्षों तक माइक्रोसाफ्ट विंडोज नेटवर्किंग टीमों में लीड इंजीनियर के रूप में कार्य किया है। वे माइक्रोसाफ्ट, यूएसए में मूल इंटरनेट ब्राउजर टीम में वरिष्ठ इंजीनियर रहे हैं. श्री अमिन नोबल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मुहम्मद यूनस की टैक्नॉलॉजी एडवाइजरी बोर्ड ऑफ ग्रामीण फाउंडेशन में भी शामिल हैं, जो विश्व की निर्धनतम महिलाओं के वित्तीय समावेशन में सुधार के लिए वृद्धिशील वित्तीय एवं प्रौद्योगिकी संबंधी समाधान प्रदान करती है ।

श्री एस. के. मुखर्जी

(जन्म-तारीख : 27 नवंबर 1955)

श्री एस.के. मुखर्जी, भारतीय स्टेट बैंक की धारा 19 (गख) के अंतर्गत 4 अक्तूबर 2012 से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित अधिकारी कर्मचारी निदेशक है।

डॉ. राजीव कुमार

(जन्म-तारीख : 6 जुलाई 1951)

डॉ. राजीव कुमार, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 6 अगस्त 2012 से तीन वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। डॉ. कुमार ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय से डी.फिल डिग्रीधारक, एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं और वे पहले फिक्की के महानिदेशक, आईसीआरआईआर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहे हैं और वे एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी काम कर चुके हैं। डॉ. कुमार संप्रति सेन्टर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली में सीनियर फेलो हैं ।

श्री हरिचन्द्र बहादुर सिंह

(जन्म-तारीख : 16 सितंबर 1963)

श्री हरिचन्द्र बहादुर सिंह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 24 सितंबर 2012 से तीन वर्ष के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। श्री सिंह को कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और एसएमई व्यवसाय में अनुभव है। वे 24.12.2008 से 08.12.2010 के दौरान पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक रह चुके हैं।

श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी

(जन्म-तारीख : 15 जनवरी 1959)

श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 29 अगस्त 2013 से तीन वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। श्री चतुर्वेदी पेशेवर चार्टर्ड एकाउंटेंट एवं टीएन चतुर्वेदी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, नई दिल्ली के वरिष्ठ भागीदार हैं। उन्हें वित्त एवं लेखा, कराधान और कारपोरेट-विधि के क्षेत्र में व्यापक अनुभव तथा विशेषज्ञता है। श्री चतुर्वेदी (27 दिसंबर 2008 से 26 दिसंबर 2011 तक) तीन वर्ष के लिए पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारक निदेशक रह चुके हैं ।

डॉ. हसमुख अढ़िया

(जन्म-तारीख : 3 नवंबर 1958)

डॉ. हसमुख अढ़िया भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ङ) के अंतर्गत 11 नवंबर 2014 केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। डॉ. हसमुख अढ़िया वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में सचिव के पद पर कार्यरत हैं।

डॉ. ऊर्जित आर. पटेल

(जन्म-तारीख : 28 अक्तूबर 1963)

डॉ. ऊर्जित आर. पटेल भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत 6 फरवरी 2013 से केंद्रीय सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। डॉ. ऊर्जित आर. पटेल भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर हैं।

अनुलग्नक II

31.03.2015 को बोर्ड-निदेशकों /बोर्ड स्तरीय समितियों के निदेशकों के संबंध में विवरण जो बैंक @/ अन्य कंपनियों के सदस्य/अध्यक्ष हैं

क्र.	निदेशक का नाम	व्यवसाय एवं पता	बोर्ड में नियुक्ति की तारीख	बैंक सहित कंपनियों की संख्या (विवरण अनुलग्नक II ए में दिया गया है)
1	श्रीमती अरुधति भट्टाचार्य	अध्यक्ष नं.5, डुनेडिन, जे.एम. मेहता मार्ग मुंबई-400 006	07.10.2013-	अध्यक्ष:14 निदेशक: 01
2	श्री पी. प्रदीप कुमार	प्रबंध निदेशक एम-1 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड मुंबई-400 006	27.12.2013	निदेशक: 01 समिति सदस्य: 01
3	श्री बी. श्रीराम	प्रबंध निदेशक एम-2 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड मुंबई-400 006	17.07.2014	निदेशक: 05 समिति सदस्य: 03
4	श्री वी. जी. कन्नन	प्रबंध निदेशक, डी-11 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	17.07.2014	निदेशक: 18 समिति सदस्य: 05
5	श्री संजीव मल्होत्रा	चार्टर्ड अकाउंटेंट, 6 मोटाभाई मेंशन, 130 महर्षि कर्वे मार्ग, चर्चगेट, मुंबई -400020	26.06.2014	निदेशक: 01 समिति अध्यक्ष: 01 समिति सदस्य: 01
6	श्री एम. डी. माल्या	सेवानिवृत्त बैंक कार्यपालक, सी-601, अशोक टॉवर्स, डॉ. एस.एस. राव मार्ग, एम.जी. हास्पिटल के सामने, परेल, मुंबई -400012	26.06.2014	निदेशक: 11 समिति अध्यक्ष: 03 समिति सदस्य: 04
7	श्री सुनील मेहता	उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसपीएम कैपिटल एडवाइजर्स प्रा. लि. 203ए विवरिया, साने गुरुजी मार्ग, महालक्ष्मी (पूर्व), मुंबई - 400 011	26.06.2014	निदेशक: 04 समिति सदस्य: 02
8	श्री दीपक आई. अमिन	सलाहकार, 104 नील कंठ तीर्थ, 6ठी रोड, चेम्बूर मुंबई - 400 071	26.06.2014	निदेशक: 02 समिति सदस्य: 01
9	श्री एस. के. मुखर्जी अधिकारी कर्मचारी निदेशक	उप प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, प्रशासनिक इकाई, भंगागढ़, गुवाहाटी-781 005	04.10.2012	निदेशक: 01
10	डॉ. राजीव कुमार	अर्थशास्त्री, सी-215 भूतल, सर्वोदय एन्क्लेव, नई दिल्ली-110 017	06.08.2012	निदेशक: 01 समिति सदस्य: 02
11	श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह	कृषि एवं व्यवसाय आरआर कोठी, कैनाल रोड, रायबरेली 229001 (उ.प्र.)	24.09.2012	निदेशक: 01 समिति सदस्य: 01
12	श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी	द्वारा टीएन चतुर्वेदी एंड कंपनी, 406, चिरंजीव टॉवर, 43 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110 019	29.08.2013	निदेशक: 01
13	डॉ. हसमुख अढ़िया (भारत सरकार के नामिती)	सचिव (वित्तीय सेवाएं) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (बैंकिंग प्रभाग), जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001		निदेशक: 05 समिति सदस्य: 01
14	डॉ. ऊर्जित आर. पटेल (भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती)	उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई-400001	06.02.2013	निदेशक: 03 समिति सदस्य: 02

@ शेयर बाजार में सूचीकरण करार के खंड 49 के पैरा 1 (सी) (ii) का विधिवत अनुपालन करते हुए केवल लेखा-परीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति की सदस्यताओं/अध्यक्षताओं को ही दर्शाया गया है।

अनुलग्नक II ए

31.03.2015 को बोर्ड-निदेशकों/बोर्ड स्तरीय समितियों के निदेशको के संबंध में विवरण, जो बैंक@/अन्य कंपनियों के सदस्य/अध्यक्ष हैं

(@केवल लेखापरीक्षा समिति एवं शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति की सदस्यताओं/अध्यक्षताओं को ही दर्शाया गया है)

1. श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	सदस्य/निदेशक/ अध्यक्ष
1	भारतीय स्टेट बैंक	अध्यक्ष
2	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	अध्यक्ष
3	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	अध्यक्ष
4	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	अध्यक्ष
5	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	अध्यक्ष
6	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	अध्यक्ष
7	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	अध्यक्ष
8	एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.	अध्यक्ष
9	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	अध्यक्ष
10	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	अध्यक्ष
11	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड	अध्यक्ष
12	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	अध्यक्ष
13	एसबीआई डीएफएचआई लि.	अध्यक्ष
14	एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट सर्विसेस प्रा. लि.	अध्यक्ष
15	भारतीय निर्यात-आयात बैंक	निदेशक

2. श्री पी. प्रदीप कुमार

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य@
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य

3. श्री बी. श्रीराम

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य@
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य हितधारक संबंध समिति - सदस्य
2	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लि.	निदेशक	
3	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	निदेशक	
4	एसबीआई कार्डस एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य
5	जी ई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज लि.	निदेशक	

4. श्री वी. जी. कन्नन, प्रबंध निदेशक

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य@
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	हितधारक संबंध समिति - सदस्य
2	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति- सदस्य
3	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लि.	निदेशक	
4	एसबीआई कैप्स वेंचर्स लि.	निदेशक	-
5	एसबीआई कैप यूके लिमिटेड	निदेशक	-
6	एसबीआई कैप सिंगापुर लि.	निदेशक	
7	एसबीआई डीएफएचआई लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य
8	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	निदेशक	
9	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य
10	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस लि.	निदेशक	
11	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.	निदेशक	
12	एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति - सदस्य
13	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	निदेशक	
14	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	निदेशक	
15	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	निदेशक	
16	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	निदेशक	
17	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	निदेशक	
18	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	निदेशक	

5. श्री संजीव मल्होत्रा

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य@
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - अध्यक्ष हितधारक संबंध समिति - सदस्य

6. श्री एम. डी. माल्या

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य@
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य हितधारक संबंध समिति - अध्यक्ष
2	इंडिया इंफ्राडेट लिमिटेड	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - अध्यक्ष
3	नीतेश ईस्टेट लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य
4	ईमामी लिमिटेड	निदेशक	-
5	नीतेश हाउसिंग डेवलपमेंट (प्रा.) लि.	निदेशक	
6	नीतेश अर्बन डेवलपमेंट (प्रा.) लि.	निदेशक	
7	नीतेश इंदिरानगर रिटेल (प्रा.) लि.	निदेशक	
8	आईएफएमआर रूरल चैनल एण्ड सर्विसेज (प्रा.) लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - अध्यक्ष
9	सेवन आइसलैंड्स शिपिंग लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य
10	इंटरग्लोब एवियशन लि.	निदेशक	
11	पुदुआरु फाइनैंशियल सर्विसेज लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य

7. श्री सुनील मेहता

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य@
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य हितधारक संबंध समिति - अध्यक्ष
2	आईएलएण्डएफएस एएमसी ट्रस्टी लि.	निदेशक	-
3.	एशिया सोसायटी इंडिया सेंटर (धारा 25 कंपनी)	निदेशक	-
4	एसपीएम कैपिटल एडवाइजर्स प्रा. लि.	निदेशक	-

8. श्री दीपक आई. अमिन

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	हितधारक संबंध समिति - सदस्य
2	रेडियन एडवाइजर्ज प्रा. लि.	निदेशक	-

9. श्री एस.के. मुखर्जी

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	-

10. डॉ. राजीव कुमार

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य हितधारक संबंध समिति- सदस्य

11. श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	हितधारक संबंध समिति- सदस्य

12. श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	-

13. डॉ. हसमुख अढ़िया

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति-सदस्य
2	भारतीय रिज़र्व बैंक	निदेशक	-
3	भारतीय जीवन बीमा निगम लि.	निदेशक	-
4	इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि.	निदेशक	-
5	भारतीय निर्यात - आयात बैंक	निदेशक	-

14. डॉ. ऊर्जित आर. पटेल

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय रिज़र्व बैंक	निदेशक	-
2	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति-सदस्य
3	राष्ट्रीय आवास बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति-सदस्य

अनुलग्नक - III

31.03.2015 को बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों की शेयरधारिता का विवरण

क्र. सं.	निदेशक का नाम	शेयरों की संख्या
1	श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य	2000
2	श्री पी. प्रदीप कुमार	3250
3	श्री बी. श्रीराम	00
4	श्री वी. जी. कन्नन	2030
5	श्री संजीव मल्होत्रा	8800
6	श्री एम. डी. माल्या	5000
7	श्री सुनील मेहता	5000
8	श्री दीपक आई. अमिन	5000
9	श्री एस.के. मुखर्जी	800
10	डॉ. राजीव कुमार	2300
11	श्री हरीचंद्र बहादुर सिंह	00
12	श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी	2000
13	डॉ. हसमुख अढ़िया	00
14	डॉ. ऊर्जित आर. पटेल	00

अनुलग्नक - IV

वर्ष 2014-15 के दौरान केंद्रीय बोर्ड एवं बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए निदेशकों को भुगतान की गई बैठक फीस का विवरण

क्र.	निदेशक का नाम	केंद्रीय बोर्ड की बैठकें (₹.)	अन्य बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकें (₹.)	कुल (₹.)
1	श्री एस. वेंकटाचलम	30,000	110,000	140,000
2	श्री डी. सुंदरम	20,000	80,000	100,000
3	श्री पार्थसारथी अय्यंगार	5,000	20,000	25,000
4	श्री थॉमस मैथ्यू	30,000	100,000	130,000
5	श्री संजीव मल्होत्रा	90,000	260,000	350,000
6	श्री एम. डी. माल्या	80,000	305,000	385,000
7	श्री सुनील मेहता	90,000	330,000	420,000
8	श्री दीपक आई. अमिन	90,000	220,000	310,000
9	श्री ज्योति बी. महापात्रा	60,000	20,000	80,000
10	श्री एस.के. मुखर्जी	120,000	60,000	180,000
11	डॉ. राजीव कुमार	40,000	30,000	70,000
12	श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह	90,000	155,000	245,000
13	श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी	40,000	10,000	50,000

अनुलग्नक - V

घोषणा

बैंक की आचार संहिता (2014-15) के अनुपालन की पुष्टि

मैं घोषणा करती हूँ कि बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2014-15 की बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

दिनांक : 7 अप्रैल 2015

कारपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट खंड 49 X-ए, सूचीकरण करार का अनुलग्नक XIII अधिदेश इतर अपेक्षाएं

1. **बोर्ड** - चूंकि बैंक में एक कार्यपालक अध्यक्ष हैं, इसलिए यह लागू नहीं है।
2. **शेयरधारकों के अधिकार** - वित्तीय निष्पादन के अर्ध-वार्षिक वित्तीय परिणाम शेयरधारकों के परिवार के प्रत्येक सदस्य को नहीं भेजे जा रहे हैं।
3. **लेखा-परीक्षा शर्तें** - बैंक के वित्तीय विवरणों पर कोई लेखा-परीक्षा शर्त नहीं लगाई गई है।
4. **अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)** का अलग-अलग पद - अध्यक्ष और चार प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के उपबंधों के अनुसार की गई है।
5. **आंतरिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टिंग** - बैंक में आंतरिक लेखा-परीक्षा के प्रमुख अधिकारी सीधे बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति को रिपोर्ट करते हैं।

कारपोरेट अभिशासन संबंधी लेखा-परीक्षकों का प्रमाणपत्र

शेयरधारक
भारतीय स्टेट बैंक

हमने 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय स्टेट बैंक (इस बैंक) द्वारा कारपोरेट अभिशासन की उन शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जो भारत में शेयर बाजारों के साथ बैंक के सूचीकरण करार के खंड 49 में निर्धारित की गई है।

कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन वर्ग की है। हमारी जांच भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी कारपोरेट अभिशासन के प्रमाणन संबंधी मार्गदर्शी नोट के अनुसार की गई है और यह कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई कार्यविधियों तथा उनके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरण पर अभिमत की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और जहां तक हमें जानकारी है, उसके अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त सूचीकरण करार में निर्धारित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का, सभी महत्वपूर्ण बातों का समावेश करते हुए अनुपालन किया है।

हम सूचित करते हैं कि हितधारक संबंध समिति द्वारा रखे गए अभिलेखों के अनुसार, बैंक के विरुद्ध कोई भी निवेशक-शिकायत एक माह से अधिक अवधि के लिए लंबित नहीं है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि यह अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता के संबंध में आश्वासन है, न ही उस कुशलता अथवा प्रभावकारिता से संबंधित है, जिसके दवारा प्रबंधन वर्ग ने बैंक के कारोबार का संचालन किया है।

कृते एस. वेंकटराम एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

जी नारायणस्वामी
भागीदार
भागीदार सदस्यता सं. 002161
फर्म पंजीकरण सं. 0045656 एस

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 22 मई 2015